प्रेस नोट जनपद बदायूं दिनांक 23-07-2024

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेड़छाड़ के अभियुक्त को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सों अधि द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 20000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 877/2016 धारा 354/506 भादवि तथा 9/10 पॉक्सों एक्ट बनाम रमेश पुत्र प्यारे निवासी मो0-लोटनपुरा थाना कोतवाली जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक उ0नि0 श्री लोकेन्द्र पाल सिंह द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सों अधिनियम बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली द्वारा मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सों अधिनियम बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 23-07-2024 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सों अधिनियम बदायूँ, द्वारा अभि0 रमेश उपरोक्त को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष की सजा एवं 5000/- रु0 जुर्माना तथा अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा तथा 506 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष की सजा एवं 5000/- रु0 जुर्माना तथा अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। तथा अन्तर्गत धारा 9 एफएल/10 पॉक्सों के आरोप में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा तथा 10000/-रु0 का जुर्माना व अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। दोषसिद्ध अभियुक्त रमेश के द्वारा जेल में पूर्व में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाएगी सभी सजाए साथ-साथ चलेंगी। अधिरोपित अर्थदण्ड में से आधी धनराशि अपील अवधि व्यतीत होने के उपरान्त पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रुप में देय होगी। पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जोहरी,श्री विरेद्र वर्मा तथा श्री प्रदीप भारती विवेचक उ0नि0 श्री लोकेन्द्रपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं।